



श्रीधरग सदा   जिला   244   PHAMOD KUMAR PANKAJ		
शाला नम्बर	दोसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
270	4013	0 एकड़ 5 डिममील 0 हेक्टर

भरती नकदी	भरती भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
-----------	------------	------------------------

औत व सलाना माग मय तफसील (बकाया दो हाल) मीजुदा सात का।

माग बावत	माता	बकाया				हाल (2021-2022)
		तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	1 ला वर्ष	
मात (नकदी)	5.00					5.00
गुजारी (भावली)	1.25					1.25
सस	2.50					2.50
सूद	2.50					2.50
मुतफरकात	1.00					1.00
मीजान	12.25					12.25

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	माता	बकाया				मोतालबा हाल (2021-2022)	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	1 ला वर्ष		
मात (नकदी)						5.00	
गुजारी (भावली)						1.25	
सस						2.50	
सूद						2.50	
मुतफरकात						1.00	
मीजान अदायकारी						12.25	

(1) मीजान कुल (तफजो में) : Twelve Rupees and Twenty Five Paise

(2) नाम देहिन्दा -

(3) कुल बकाया- 12.25

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 06-07-2021

खास महाल का बकाया मातगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।

Print

Self attested  
R. Pankaj

# JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

झरखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये नगरीय कर की सूचना।

Memo No. : 714244250522123811

Date : 25-05-2022

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री PRAMOD KUMAR PANKAJ S/O RAMESHWAR MODI,  
 गैरकानूनी HEAR DARUKA CAMPUS FUTANI CHOWK JHUMRI TELAIYA  
 KODERMA - 825409  
 8992776681

ध्यान दें: आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं\* - 0010991315000MO सार्ड सं\* 1 हुआ है, आपके स\* निर्धारण जोधला पत्र के आधार पर वार्षिक विरासत मूल्य 0% स\* निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं*	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	121.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		121.00



[Blank box for signature]

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, [www.jhnpn.org.in](http://www.jhnpn.org.in) पर प्रदर्शित है।
2. विधानसभा अधिनियम 113 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो नगरीय कर का 50% होगा। विधानसभा अधिनियम 113 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण संरचना तथा कर निर्धारण को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
3. धारणित वार्षिक एवं नगरीय कर का भुगतान वैधानिक रूप में होगा।
4. यदि आपकी वर्षा जल संरक्षण भूखण्ड पर का भुगतान दिनांक वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जायेगी।
5. किसी देश भूखण्ड को निर्दिष्ट समन्वयित (जम्बोड सिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह धारा अधिनियम 113 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण पर की स्व-निर्धारण सह-जोड़ना पर की स्व-निर्धारण जल संचयन विधानसभा अधिनियम 113 के अनुसार निर्धारित राशि (Fines) एवं अन्तर्गत देय होगा।
7. JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संचालित इस नगरीय कर इन इनमोबिलिटी को कोई कानूनी हेतु प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मन्त्रियों / दसतकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नगर निर्धारण नगरीय कर अधिनियम 113 के अन्तर्गत अंक 5/6/7/8 है तो यह निर्दिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

*Bunwar*  
 for Pramod Kr Pankaj

Scanned with CamScanner